न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : धारा सिंह मीना, RAS

अपील संख्या 72/2021

1 आदर्शराज पुत्र राजकुमार जाति मेघवाल निवासी वार्ड नम्बर 19 मण्डावा तहसील व जिला झुंझुनू।

अपीलांट

बनाम

1 महादेव पुत्र नानगराम जाति जाट निवासी मण्डावा तहसील व जिला झुंझुनू।
2 रूकमणी देवी पत्नी रामचन्द्र।
3 रतनी देवी पुत्री रामचन्द्र।
4 धापा देवी पुत्री रामचन्द्र।
5 सुशीला देवी पुत्री रामचन्द्र।
6 नेकीराम पुत्र रामचन्द्र।
7 भंवरलाल पुत्र रामचन्द्र।
8 श्रीमती कमला पत्नी राजकुमार।
9 शालिनीराज पुत्री राजकुमार समस्त जाति मेघवाल निवासीगण मण्डावा तहसील व जिला झुंझुनू।
10 तहसीलदार झुंझुनू तहसील व जिला झुंझुनू।

रेस्पोडेंट

अपील अन्तर्गत धारा 223 आर.टी.एक्ट 1955
विरूद्व निर्णय एवं डिक्री दिनांक 13.09.2021
द्वारा पारित उपखण्ड अधिकारी झुंझुनू राजस्व
वाद संख्या 19/2020

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनू)

उपस्थिति :

3. श्री अशोक शर्मा, अधिवक्ता अपीलांट
4. श्री पुष्पा कुमारी, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

—निर्णय—

दिनांकः—27-10-

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुंझुनू द्वारा मुकदमा नम्बर 19/2020 में पारित निर्णय दिनांक 13.09.2021 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादी अपीलांट ने भूमि खसरा नम्बर 63,64 गत खसरा नम्बर 29/02 वाके ग्राम मण्डवा तहसील व जिला झुंझुनू के सन्दर्भ में घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया। विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय से वाद वादी खारिज कर दिया। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि पत्रावली में प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड से विवादित भूमि पर बाई ऑपरेशन ऑफ लॉ अपीलांट खातेदार काश्तकार साबित है। विचारण न्यायालय ने वाद के अनुसार तनकी कायम किये बिना पत्रावली पर प्रस्तुत साक्ष्य का विवेचन किये बिना विचाराधीन निर्णय पारित कर विधिक त्रुटि की है। विचारण न्यायालय में प्रतिवादीगण की ओर से किसी प्रकार का ऐतराज प्रस्तुत नही किया गया है। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलांट के निर्बाध कब्जे के आधार पर प्राप्त एडवर्स पजेशन पर भी कोई विवेचन नही किया है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नही माना जा सकता है। अपील स्वीकार कर वाद वादी डिक्री किया जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि अपील स्वीकार की जाती है तो उन्हे कोई आपत्ति नही है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। अपीलांट का कथन है कि पत्रावली में प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड से विवादित भूमि पर बाई ऑपरेशन ऑफ लॉ अपीलांट खातेदार काश्तकार साबित है। विचारण न्यायालय ने वाद के अनुसार तनकी कायम किये बिना पत्रावली पर प्रस्तुत साक्ष्य का विवेचन किये बिना विचाराधीन निर्णय पारित कर विधिक त्रुटि की है। विचारण न्यायालय में प्रतिवादीगण की ओर से किसी प्रकार का ऐतराज प्रस्तुत नही किया गया है। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलांट के निर्बाध कब्जे के आधार पर प्राप्त एडवर्स पजेशन पर भी कोई विवेचन नही किया है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नही माना जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय व डिक्री अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि पत्रावली में प्रस्तुत वाद कथन के आधार पर तनकी कायम कर पक्षकारों की साक्ष्य प्राप्त कर पत्रावली में प्रस्तुत साक्ष्य का तनकीवार विवेचन कर प्रकरण में पुन गुणावगुण पर निर्णय पारित करे। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 30.11.2022 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 27-10-22 को सरे इजलास सुनाया गया।

(धारा सिंह मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी